



2026:AHC:18116

न्यायालय संख्या - 66

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 20741 वर्ष 2025

आवेदक :- कमलेश

विपक्षी :- उत्तर प्रदेश राज्य

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : अखिलेश कुमार खरे, राज कुमार शर्मा

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार शर्मा एवं राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री वी.के.एस. परमार को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, विचारण लंबित रहने के दौरान, थाना - रक्षा, जनपद - झाँसी के अंतर्गत पंजीकृत अपराध संख्या 167 वर्ष 2024, धारा 103(1), 238/61, 315 भारतीय न्याय संहिता में जमानत की प्रार्थना कर रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक एफ.आई.आर. में नामजद नहीं है। 'अंतिम बार देखे जाने' का साक्ष्य गढ़ा गया है, जो किसी भी प्रकार से विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। आवेदक को केवल संदेह के आधार पर नामित किया गया है। आवेदक और सह-अभियुक्त पर कपड़े और मोबाइल फोन की झूठी बरामदगी थोपी गई है, अतः आवेदक जमानत का हकदार है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 14.07.2024 से कारागार में निरुद्ध है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
6. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है, किंतु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
7. इस न्यायालय ने विचारण की स्थिति तलब की थी। दिनांक 15.12.2025 की स्थिति रिपोर्ट दर्शाती है कि तीन गवाहों का परीक्षण किया जा चुका है और अभियोजन साक्षी-3 की प्रतिपरीक्षा चल रही है।
8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक एफ.आई.आर. में नामजद नहीं है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत का आधार बनाया है। तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- कमलेश को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं बनाएगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने के संबंध में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

दिनांक : 27 जनवरी 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल,)